No. CWC/MS-I/Med Rev-Empnl-Hosptls/Admn/2020-21 Date: 02.11.2020

परिपत्र

विषय: निगम के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के इनडोर उपचार हेतु "सीधे भुगतान प्रणाली" के अंतर्गत अस्पतालों को सूचीबद्ध (इम्पेनलमेंट) करने के संबंध में |

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कर्मचारियो और उनके आश्रितों के इनडोर उपचार के लिए दिनांक 13.10.2020 से 31.03.2023 की अवधि के लिए निम्नलिखित अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है. केंद्रीय भण्डारण निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी को भी उसी दर पर यह सुविधा प्रदान की गई है तथापि यह सुविधा निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार नकद भुगतान के आधार पर प्रदान की जाएगी|

<table>
<tr><th>क्र. संख्या</th><th>अस्पताल नाम</th><th>दर</th><th>विशेषता का क्षेत्र</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>फेलिक्स हॉस्पिटल, सैक्टर-37, एक्सप्रेसवे नोएडा, उत्तर प्रदेश-201305</td><td>सीजीएचएस दर: सीजीएचएस दर पर सभी उपचार
परामर्श शुल्क: सीजीएचएस दर के अनुसार (ओपीडी /आईपीडी दोनों)
डायग्नोस्टिक लैब सुविधाएं: सीजीएचएस दर के अनुसार।
<table><tr><th></th><th>रूम रेंट</th></tr><tr><td>प्रबंध निदेशक/ निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी</td><td>प्राइवेट रु. 3000/-</td></tr><tr><td>समूह महा प्र./ महा प्र./ उप महा प्र./ सहा. महा प्र./ अधिशासी अभियंता और समकक्ष</td><td>प्राइवेट रु. 3000/-</td></tr><tr><td>प्रबंधक और नीचे अधीक्षक तक और समकक्ष</td><td>प्राइवेट रु. 3000/-</td></tr><tr><td>ग्रुप ग</td><td>सेमी प्राइवेट रु. 2000/-</td></tr><tr><td>ग्रुप घ</td><td>सामान्य वार्ड रु 1000/-</td></tr></table></td><td>विशेष और सामान्य उपचार एवं नैदानिक प्रक्रिया</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>आई.बी.एस. हॉस्पिटल, 73, रिंग रोड, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-</td><td>सीजीएचएस दर: न्यूरोलोजी और न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक्स (जाइंट रिप्लेसमेंट के साथ), जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, नेत्र और डायग्नोस्टिक प्रक्रिया सीजीएचएस दर पर
परामर्श शुल्क: सीजीएचएस दर के अनुसार (ओपीडी /आईपीडी दोनों)
डायग्नोस्टिक लैब सुविधाएं: सीजीएचएस दर के अनुसार।
<table><tr><th></th><th>रूम रेंट</th></tr><tr><td>प्रबंध निदेशक/ निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी</td><td>प्राइवेट रु. 3000/-</td></tr></table></td><td>न्यूरोसर्जरी, स्पाइनसर्जरी, न्यूरोलोजी, जाइंट रिप्लेसमेंट, न्यूरोमोडुलेशन, रिहैबिलिटेशन</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>110024</td><td><table>
<tr><td>समूह महा प्र./ महा प्र./ उप महा प्र./ सहा. महा प्र./ अधिशासी अभियंता और समकक्ष</td><td>प्राइवेट रु. 3000/-</td></tr>
<tr><td>प्रबंधक और नीचे अधीक्षक तक और समकक्ष</td><td>प्राइवेट रु. 3000/-</td></tr>
<tr><td>ग्रुप ग</td><td>सेमी प्राइवेट रु. 2000/-</td></tr>
<tr><td>ग्रुप घ</td><td>सामान्य वार्ड रु 1000/-</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कैलाश हॉस्पिटल, 23 केपी-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201310</td><td><u>सीजीएचएस दर:</u> सीजीएचएस दर पर सभी उपचार
<u>परामर्श शुल्क</u>: सीजीएचएस दर के अनुसार (ओपीडी /आईपीडी दोनों)
<u>डायग्नोस्टिक लैब सुविधाएं:</u> सीजीएचएस दर के अनुसार।<table>
<tr><td></td><td>रूम रेंट</td></tr>
<tr><td>प्रबंध निदेशक/ निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी</td><td>प्राइवेट रु. 3000/-</td></tr>
<tr><td>समूह महा प्र./ महा प्र./ उप महा प्र./ सहा. महा प्र./ अधिशासी अभियंता और समकक्ष</td><td>प्राइवेट रु. 3000/-</td></tr>
<tr><td>प्रबंधक और नीचे अधीक्षक तक और समकक्ष</td><td>प्राइवेट रु. 3000/-</td></tr>
<tr><td>ग्रुप ग</td><td>सेमी प्राइवेट रु. 2000/-</td></tr>
<tr><td>ग्रुप घ</td><td>सामान्य वार्ड रु 1000/-</td></tr>
</table></td><td>विशेष और सामान्य उपचार एवं नैदानिक प्रक्रिया</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यथार्थ वेलनेस्स हॉस्पिटल & ट्रामा सेंटर, 32,ओमेगा-I, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201310</td><td><u>सीजीएचएस दर:</u> सीजीएचएस दर पर सभी उपचार
<u>परामर्श शुल्क</u>: सीजीएचएस दर के अनुसार (ओपीडी /आईपीडी दोनों)
<u>डायग्नोस्टिक लैब सुविधाएं:</u> सीजीएचएस दर के अनुसार।<table>
<tr><td></td><td>रूम रेंट</td></tr>
<tr><td>प्रबंध निदेशक/ निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी</td><td>प्राइवेट रु. 3000/-</td></tr>
<tr><td>समूह महा प्र./ महा प्र./ उप महा प्र./ सहा. महा प्र./ अधिशासी अभियंता और समकक्ष</td><td>प्राइवेट रु. 3000/-</td></tr>
<tr><td>प्रबंधक और नीचे अधीक्षक तक और समकक्ष</td><td>प्राइवेट रु. 3000/-</td></tr>
<tr><td>ग्रुप ग</td><td>सेमी प्राइवेट रु. 2000/-</td></tr>
<tr><td>ग्रुप घ</td><td>सामान्य वार्ड रु 1000/-</td></tr>
</table></td><td>विशेष और सामान्य उपचार एवं नैदानिक प्रक्रिया</td></tr>
</table>

नोट:-

i. जहाँ कहीं भी सीजीएचएस दरें उल्लेखित हैं; यह सीजीएचएस एनएबीएच 2014 की दरों के अनुसार है|

ii. इनपेशेंट उपचार के मामले में; प्रति विशेषज्ञ आई.पी.डी. परामर्श के लिए अस्पताल को देय शुल्क, प्रति दिन 02 परामर्श तक सीमित रहेगा।

प्राधिकार पत्र जारी करना

कर्मचारियों को अस्पताल द्वारा इनडोर उपचार के लिए ऊपर उल्लिखित कमरे की श्रेणी के पात्रता के अनुसार भर्ती किया जाना है जो कि पात्रता के कमरे के शुल्क तक सीमित रहेगा और इसके लिए कार्मिक विभाग, निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों के लिए विधिवत अधिकृत कार्मिकों द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया जाना चाहिए|

कमरे की पात्रता की श्रेणी ऊपर वर्णित है तदनुसार प्राधिकार पत्र में कर्मचारियो के नाम, पदनाम, कमरे के शुल्क की श्रेणी के बारे मे तथा कमरे के किराए की अधिकतम सीमा का उल्लेख किया जाना चाहिए|

यदि पात्रता श्रेणी मे कमरा उपलब्ध है और कर्मचारी उच्च श्रेणी के कमरे के लिए आग्रह करता है तो कमरे के शुल्क की अंतर राशि उस कर्मचारी द्वारा वहन की जाएगी, जिसे डिस्चार्ज के समय अस्पताल द्वारा संबंधित कर्मचारी से वसूल किया जाएगा|

जहाँ अस्पतालों ने सीजीएचएस/एनएबीएच/एनएबीएल की दरों पर शुल्क वसूल किया है तो वह शुल्क उस अस्पताल को देय होगा तथापि इसके लिए सूचीबद्ध अस्पताल से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि वे उक्त श्रेणियों से मान्यता प्राप्त हैं| इसके अतिरिक्त इसको सीजीएचएस की वेबसाइट से भी सत्यापित किया जा सकता है. यह सभी संबंधितो द्वारा सुनिश्चित किया जाए|

निगमित कार्यालय के दिनांक 23.10.2013, के परिपत्र के अनुसार सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा सूचीबद्ध किये गए अस्पतालों को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं|

कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए इनडोर उपचार उन विशेष बीमारियों के लिए लिया जा सकता है जिनका ओपीडी में इलाज नहीं किया जा सकता है। इनडोर उपचार के लिए अस्पताल के संबंधित डॉक्टर की संस्तुति पर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा तथा यह जांच, नैदानिक प्रक्रियाओं आदि के लिए जारी नहीं किया जाएगा|

एक कदम स्वच्छता की ओर

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS Certification
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0008

Jatin Alagh

Digitally signed by Jatin Alagh
DN: c=IN, o=Central Warehousing Corporation, ou=Personnel Division, 2.5.4.20=b999ec2304b92b1a8b30c133a1e746e6e56903694b053e3c3731490286fa35f4, postalCode=110016, st=DELHI, cn=Jatin Alagh
Date: 2020.11.02 10:16:27 +05'30'

(जतिन अलघ)
वरि. सहा. प्रबंधक (प्रशा.)
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

वितरण :-

1. सभी विभागाध्यक्ष, केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली|
2. अध्यक्ष के वरि.निजी सहायक/ प्रबंध निदेशक के वरि. निजी सहायक/ निदेशक(कार्मिक) के निजी सचिव/ निदेशक(वित्त) के व.स.प्र./ मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक, केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली|
3. सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक, केभनि, क्षे.का. को यह अनुरोध किया जाता है कि अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को जिला / राज्य से बाहर उपचार हेतु निगमित कार्यालय मे भेजने से पूर्व, संबंधित राज्य / जिला / सरकार / सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि सीएसएमए नियमों के अनुसार इन अस्पतालों में ऐसे उपचार / सुविधा उपलब्ध नहीं है। कृपया इस परिपत्र की सामग्री को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए|
4. प्रणाली विभाग से अनुरोध है की इस परिपत्र को निगम की वैबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें|

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone

No. CWC/MS-I/Med Rev-Empnl-Hosptls/Admn/2020-21 **Date: 02.11.2020**

CIRCULAR

Sub: - Empanelment of Hospitals under "Direct Payment System" for indoor treatment of Corporation's employees and their dependents.

With the approval of the Competent Authority the following hospitals has been empanelled for the period from **13.10.2020 to 31.03.2023** for indoor treatment of employees and their dependents. The facility has been extended to Ex-employees of CWC and their spouse also on the same rate but on cash payment basis on the following terms and conditions only:-

S. No	Name of the Hospital	Rates	Area of Specialization
1.	M/s.. Felix Hospital Sector-137, Expressway Noida, Uttar Pradesh - 201305	**CGHS Rate**: All treatment at CGHS rate. **Consultation Charges**: As per CGHS rate (both OPD/IPD). **Diagnostic Lab Facilities**: As per CGHS rate. **Room Rent** MD/Director/CVO — Private Room Rs. 3000/- GGM/GM/DGM/AGM/ SE and equivalent — Private Room Rs. 3000/- Manager and below up-to Supdt. and equivalent — Private Room Rs.3000/- Group C — Semi Private Rs. 2000/- Group D — General Ward Rs. 1000/-	Specialized and general purpose treatment and diagnostic procedures.
2.	M/s. IBS Hospital, 73, Ring Road, Lajpat Nagar-III, New Delhi - 110024	**CGHS Rate**: Neurology & Neurosurgery, Orthopedics (including joint Replacement), General Medicine, General Surgery, Eye & Diagnostics at CGHS rate. **Consultation Charges**: As per CGHS rate (both OPD/IPD). **Diagnostic Lab Facilities**: As per CGHS rate. **Room Rent** MD/Director/CVO — Private Room Rs. 3000/- GGM/GM/DGM/AGM/ SE and equivalent — Private Room Rs. 3000/- Manager and below up-to Supdt. and equivalent — Private Room Rs.3000/- Group C — Semi Private Rs. 2000/- Group D — General Ward Rs. 1000/-	Empanelled **only for** Neuro Surgery, Spine Surgery, Neurology, Joint Replacement, Neuromodulation, Rehabilitation

<table>
<tr><td>3.</td><td>M/s. Kailash Hospital Ltd., 23 KP-1, Greater Noida, Uttar Pradesh-201310</td><td><u>CGHS Rate</u>: All treatment at CGHS rate.
<u>Consultation Charges</u>: As per CGHS rate (both OPD/IPD).
<u>Diagnostic Lab Facilities</u>: As per CGHS rate.
<table>
<tr><td colspan="2">Room Rent</td></tr>
<tr><td>MD/Director/CVO</td><td>Private Room Rs. 3000/-</td></tr>
<tr><td>GGM/GM/DGM/AGM/ SE and equivalent</td><td>Private Room Rs. 3000/-</td></tr>
<tr><td>Manager and below up-to Supdt. and equivalent</td><td>Private Room Rs.3000/-</td></tr>
<tr><td>Group C</td><td>Semi Private Rs. 2000/-</td></tr>
<tr><td>Group D</td><td>General Ward Rs. 1000/-</td></tr>
</table></td><td>Specialized and general purpose treatment and diagnostic procedures.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>M/s. Yatharth Wellness Hospital & Trauma Centre, 32, Omega -I, Greater Noida Uttar Pradesh - 201310</td><td><u>CGHS Rate</u>: All treatment at CGHS rate.
<u>Consultation Charges</u>: As per CGHS rate (both OPD/IPD).
<u>Diagnostic Lab Facilities</u>: As per CGHS rate.
<table>
<tr><td colspan="2">Room Rent</td></tr>
<tr><td>MD/Director/CVO</td><td>Private Room Rs. 3000/-</td></tr>
<tr><td>GGM/GM/DGM/AGM/ SE and equivalent</td><td>Private Room Rs. 3000/-</td></tr>
<tr><td>Manager and below up-to Supdt. and equivalent</td><td>Private Room Rs.3000/-</td></tr>
<tr><td>Group C</td><td>Semi Private Rs. 2000/-</td></tr>
<tr><td>Group D</td><td>General Ward Rs. 1000/-</td></tr>
</table></td><td>Specialized and general purpose treatment and diagnostic procedures.</td></tr>
</table>

<u>Note :</u>

a) Wherever CGHS Rates are quoted; it is as per CGHS NABH 2014 rates.
b) In case of Inpatient treatment; charges payable to hospital for IPD Consultation per specialist, shall be limited to 02 consultancy per day.

<u>Issue of authority letter</u>

The employees are to be admitted by the hospital for indoor treatment as per the entitlement of room category mentioned above, limited to entitled room charges and for this purpose, proper authorisation letter to be issued by the officials duly authorised for the same by Personnel Division, CO/RMs for the employees under their jurisdiction.

The category of room entitlement is mentioned above, there should be mention about the name of the employees, designation, category of room charges. There should also be a mention of the maximum ceiling of room rent.

If the accommodation of entitled category is available and employee insists for higher category of room, the differential amount of the room charges would be borne by the employee which will be collected by hospital at the time of his/her discharge.

Where the hospitals has charged CGHS NABH/NABL rate the same shall be paid to the hospital after obtaining a certificate from the empanelled hospital that they are accredited to such categories. Alternatively it can also be verified from CGHS website. This may be ensured by all concerned.

As per CO circular dated 23.10.2013, all RMs are competent to issue authority letters to the concerned hospital empanelled by CO, New Delhi.

The indoor treatment for the employees and their dependent may be taken for illness of specialized diseases, which cannot be treated at OPD. The authorization letter shall be issued for indoor treatment on the recommendation of the concerned Doctor of the hospital and not for the investigation, diagnostic procedures etc.

Jatin Alagh

Digitally signed by Jatin Alagh
DN: c=IN, o=Central Warehousing Corporation, ou=Personnel Division, 2.5.4.20=b999ec2304b92b1a8b30c133a1e746e6e56903694b053e3c3731490286fa35f4, postalCode=110016, st=DELHI, cn=Jatin Alagh
Date: 2020.11.02 10:18:08 +05'30'

(Jatin Alagh)
Sr. Asstt. Manager(Admn.)
For GM(Pers.)

Distribution:-

1. All Divisional Heads, CWC, Corporate Office, New Delhi.
2. Sr. PA to Chairman/Sr.PA to MD/ PS to Dir(MCP)/ SAM to Dir (Fin)/PA to CVO, CWC, CO, New Delhi.
3. All RMs, CWC, ROs- It is requested that while referring the cases to Corporate Office, of employees working under their jurisdiction for taking treatment outside District/State, a certificate may be obtained from the concerned State/ Distt./ Govt./Govt. recognized hospitals stating that such treatment/facility is not available in these hospitals as per CSMA Rules. The contents of this circular be brought to the notice of all concerned.
4. MIS Division with the request to upload the circular on CWC's Website.